

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

खानपुर थाना काण्ड सं0 114/20,कम्प्यूटर निबंधन सं0 704/20

12.8.20 आवेदक 1. मुकेश कुमार ओर से ऑनलाईन जमानत आवेदन साथ वकालतनामा के दाखिल किया गया। दिनांक 14.8.20 वास्ते सुनवाई।

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद

14.8.20 आवेदक 1. **मुकेश कुमार**, जो खानपुर थाना काण्ड सं0 114/20, धारा-30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 27.7.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को विडियो कांफ्रेस के माध्यम से सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नहीं किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नहीं है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फँसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरुद्ध नहीं बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 27.7.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री अरुण कुमार सिन्हा के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध धारा-30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त को कुल डेढ़ लीटर विदेशी शराब के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक दि0 27.7.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद विदेशी शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त 1. **मुकेश कुमार** को मो0 दस हजार रू0 के बंध-पत्र एवं समान राशि के एक प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के लाकडाउन के कारण प्रतिभूति, व्यक्तिगत उपस्थित न होकर अपने स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ इस आशय का वचन पत्र देगा, कि वह आवेदक अभियुक्त 1. **मुकेश कुमार** का जमानतदार होना स्वीकार करता है और लाकडाउन अवधि समाप्त होने के 10 दिनों के अन्दर-अन्दर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बंध-पत्र को सम्पुष्ट करेगा। प्रतिभूति, अपनी जायदाद के कागजात के साथ अभियुक्त का नाम, पता, केस नम्बर, और अभियुक्त से अपने संबंध का उल्लेख रहेगा, के साथ **Virtual Hearing Facilitator Apps.** पर डालेगा।

(लेखापित)
अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद